

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक : लेखा/डीसी/2011-12/54

दिनांक 25-5-2011


समस्त सहायक औषधि नियंत्रक
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान

विषय :- एनआरएचएम के बजट के विरुद्ध 01 जून 2011 से खर्चा नहीं करने बाबत।

एनआरएचएम के द्वारा औषधि नियंत्रण संगठन के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न मदों में पिछले 2 वर्ष से राशि आवंटित की जाती रही है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एनआरएचएम की PIP अभी तक भारत सरकार से अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 1 जून 2011 से आवृत्ति मदों यथा किराये के वाहन एवं कम्प्यूटर आपरेटर आदि के मासिक खर्च नहीं किये जावे। आदेश की अनदेखी पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

औषधि नियंत्रक
राज0जयपुर


औषधि नियंत्रक
राज0जयपुर

54
25-5-2011

प्रतिलिपि- प्रमारी अधिकारी, केन्द्रीय सर्वर रूम को अपलोड कराये जाने बाबत।